न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 78 / 2020

गंगाराम पुत्र प्रकाशचंद,ग्राम व पोस्ट लखनपुर तहसीलदार नदबई ।

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य) कलक्ट्रेट भरतपुर अन्तरित तहसीलदार नदबई ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 06.11.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि गंगाराम पुत्र प्रकाशचंद निवासी ग्राम व पोस्ट लखनपुर तहसील नदबई ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2020 लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य) कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य) कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 575 दिनांक 08.10.2020 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य) कलक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई । अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य) कलक्ट्रेट भरतपुर से उनके कार्यालय के पत्रांक 5337 दिनांक 15.10.2020 से जबाब प्राप्त हुआ,जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएँ अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य) कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य) कलक्ट्रेट भरतपुर से उक्त सूचनाऐं दिलायी जाने की मांग की गई। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य) कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाव पर गौर किया । अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य) कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने पत्र क्रमांक 5337 दिंनाक 15.10.2020 से अवगत कराया है कि आवेदक के प्राथना पत्र में वर्णित सूचनाऐं उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उनके कार्यालय पत्रांक 4533 दिनांक 18.08.2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत तहसीलदार नदबई को अन्तरित करते हुए प्रार्थी को सीधे ही सूचना उपलबध कराने हेतु निर्देशित किया गया,जिसकी सूचना प्रार्थी को भी दी गई है । इस सम्बन्ध में तहसीलदार नदबई से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है । इससे यह जाहिर है कि तहसीलदार नदबई द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Dider
Date: 2021.02.26 16:26:31 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार नदबई को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:26:31 IST
Reason: SelfAttested